भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
09.12.2015 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 1637

त्वरित परमाणु परियोजनाएं

1637: श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से त्वरित परमाणु परियोजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सरकार ने इसकी पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन लाने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम (जेवीज़) का काम, संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए पूंजी की व्यवस्था करना है। नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करने हेतु काफी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ऊर्जा उत्पादकों जैसेकि, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल एवं एनटीपीसी), एनपीसीआईएल – इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल एवं आईओसीएल) तथा एनपीसीआईएल – नाल्को पावर कम्पनी लिमिटेड (एनपीसीआईएल एवं नाल्को) के साथ संयुक्त कम्पनियाँ निगमित की गई हैं। सरकार द्वारा इनके आबंटन एवं अनुमोदन के उपरांत इन कम्पनियों द्वारा नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी।

(घ) जी, हाँ।

(ड.) परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किए जाने हेतु विधेयक को पारित करने के आशय की सूचना लोक सभा सचिवालय को भेजी जा चुकी है।

* * * * * *